मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन-462011
Email iecmpsacs2020@gmail.com Website :-www.mpsacsb.org.in

क्रमांक/IEC/IIC/2026-27/ 1131 भोपाल, दिनांक 05/08/26

अत्यंत महत्वपूर्ण

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.
2. समस्त नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, म.प्र.
3. समस्त परियोजना संचालक, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना एवं लिंक वर्कर स्कीम, म.प्र.

विषयः दिनांक 12 अगस्त 2026 से 12 अक्टूबर 2026 तक सघन जागरूकता अभियान (Intensified IEC Campaign) संचालित किये जाने हेतु बजट स्वीकृति एवं दिशा निर्देश।

संदर्भः नाको का पत्र क्रं. X.19012/07/2025-NACO (IEC&MS), dated 22.06.2026

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देषानुसार विगत 2 वर्षो की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 12 अगस्त 2026 से 12 अक्टूबर 2026 तक सघन जागरूकता अभियान (Intensified IEC Campaign) संचालित किया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का महत्वाकांक्षी अभियान है, अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसामान्य में एचआईवी संक्रमण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे एचआईवी संक्रमण के कारण, बचाव के तरीके तथा एचआईवी जांच एवं उपचार आदि के संबंध में जागरूक हो सकें तथा एचआईवी, एस.टी.आई जांच एवं उपचार सेवाओं का अधिकाधिक लाभ ले सकें। साथ ही एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इस अभियान के माध्यम से प्रमुख रूप से जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी बस्ती क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराये जाने हैं। अभियान के अंतर्गत समस्त जिलों हेतु कुछ जरूरी गतिविधियां निर्धारित की गई हैं तथा कुछ गतिविधियां जिलों द्वारा अपने स्तर पर भी कराई जाना होंगी। जिलेवार निर्धारित आवश्यक गतिविधियों हेतु लक्ष्य निर्धारित कर बजट गणना की गई है जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। समस्त जिलों हेतु अभियान के लिए कुल स्वीकृत राशि की 50% राशि प्रथम किश्त के रूप में आवंटित की जा रही है। इस राशि का पूर्ण उपयोग कर लेने के उपरांत जिलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण प्रेषित करना होगा तभी शेष 50% राशि का आवंटन जारी किया जा सकेगा। अतः कृपया समय पर राशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

नवनिर्मित जिलों क्रमशः मैहर हेतु सतना, पांढूर्ना हेतु छिन्दवाड़ा तथा मउगंज हेतु रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को राशि आवंटित की जा रही है। अतः उक्त नये जिलों मे भी जागरूकता गतिविधियां संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कराई जायेगी, किन्तु रिपोर्ट मे नये जिले नाम अवश्य अंकित किया जाये।

सघन जागरूकता अभियान के दौरान प्रदेश के समस्त जिलों में आवश्यक रूप से कराई जाने वाली गतिविधियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. **जिला स्तरीय बैठक का आयोजनः-** सभी जिलों में अभियान की जानकारी एवं विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने हेतु जिले स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अभियान की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते

हुये अभियान की रूपरेखा एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा जिले स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की जायेगीं। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम, सभी बी.एम.एच.ओ., महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत विभाग, स्कूल शिक्षा, एन.एस.एस., उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, पुलिस विभाग आदि तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित एन.जी.ओ.,जनसंपर्क अधिकारी आदि सहभागिता करेगें। इस बैठक हेतु राशि रू. 4,000/- प्रति जिला के मान से बजट स्वीकृत किया गया है। यह बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त 2026 के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से आयोजित की जावे।

2. **विकास खण्ड स्तर पर बैठकों का आयोजन:-** जिले स्तर की बैठक के उपरांत शीघ्र ही सभी विकास खण्ड स्तर पर बैठक एवं सघन जागरूकता अभियान के संबंध में उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें विकासखण्ड स्तर पर सभी **CBMHO** द्वारा एस.डी.एम. की अध्यक्षता में बैठक आयोजि कराई जायेगी, जिसमें सभी बीपीएम, बीसीएम, सेक्टर सुपरवाइजर्स एवं सीएचओ, समस्त संबंधित विभागों, संस्थाओं के अधिकारी यथा पंचायत प्रतिनिधि, एनएचएम के ब्लॉक लेवल अधिकारी, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। इस बैठक/कार्यक्रम में एचआईवी/एड्स की जानकारी तथा जिले में एचआईवी संक्रमण की स्थिति तथा जोखिम के कारकों की जानकारी साझा करते हुये अभियान की आवश्यकता एवं महत्व को रेखांकित करते हुए सभी को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु सूचित किया जायेगा। इस हेतु राशि रू. 3,000/- प्रति विकास खण्ड की दर से संबंधित जिलों को बजट स्वीकृत किया गया है।

3. **अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम - समस्त 55 जिलों में दिनांक 12 अगस्त 2026 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जावे।** जिले स्तर पर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों युवा संगठनों, रेड रिबन क्लब, युवा भारत, एनसीसी/एनएसएस, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, आदि को सम्मिलित करते हुए भव्य साईकिल रैली अथवा बाइकर्स रैली आयोजित कराई जावे जो कि जिला मुख्यालय के सभी प्रमुख मार्गो एवं बाजारों में जागरूकता संदेश प्रचारित करेगी। इस हेतु संलग्न बजट सूची अनुसार संबंधित **55** जिलों को राशि रू. **10,000/-** प्रति जिले के मान से बजट स्वीकृत किया गया है।

4. **ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन:-** ग्राम स्तर पर नागरिकों, पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों, आउट ऑफ स्कूल यूथ, ग्रामीण जनों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों के सदस्य आदि अधिक से अधिक लोगों को आशा कार्यकर्ता के सहयोग से ग्राम के किसी निर्धारित स्थान पर आमंत्रित /एकत्रित कर उनके बीच एचआईवी-एड्स जागरूकता जानकारी प्रदान की जायेगी। प्रत्येक ग्राम में उक्त स्टाफ या अधिकारी को न्यूनतम 5 घरों में जाकर डोर-टू-डोर अवेयरनेस गतिविधियां भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना होंगी तथा ब्रेकफ्री इंडिया पोर्टल के माध्यम से गांव के युवाओं/ नागरिकों को सेल्फ रिस्क असेस्मेंट करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। इस हेतु पृथक से रिपोर्टिंग प्रपत्र भरने होंगे। इस हेतु रूपये 300/ प्रति ग्राम मानदेय निर्धारित किया गया है। यह सुनिश्चित करें कि जिन ग्रामों में विगत वर्ष जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं हैं उनको छोड़कर शेष बचे ग्रामों में ये गतिविधि कराई जाए।

5. **महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:-** जिले में जिन महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब संचालित हैं उन महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में इस अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। संस्थाओं से समन्वय कर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करावें। जिले के रेड रिबन क्लबों से इन महाविद्यालयों में जागरूकता गतिधियों हेतु सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक/ फ्लेश मॉब आदि उनके द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय हेतु राशि रूपये 250/- मानदेय निर्धारित है।

6. **स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन:-** जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/ विद्यालयों के प्राचार्यो आदि से समन्वय कर जिले के हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। प्रत्येक विद्यालय हेतु राशि रूपये 250/- मानदेय निर्धारित है।

7. **ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND/UHSND)-** चयनित जिलों में महिलाओं एवं किशोरियों तथा उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जावें। इसमें विशेष रूप से **EVTHS (Elemination of Vertical Transmission of HIV & Syphilis½** से संबंधित जानकारी प्रदान की जावे। इस हेतु चयनित जिलों को प्रत्येक जिले में 25-25 **VHSND/UHSND** हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि रू. 25,000/- प्रति जिला बजट स्वीकृत किया गया है। इस हेतु प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु 01

बैनर एवं सीएचओ / एएनएम द्वारा जागरूकता सत्र संचालित करने हेतु राशि रूपये 250/- मानदेय सहित प्रति कार्यक्रम राशि रूपये 1000/- स्वीकृत है। कार्यक्रम के उपरांत बैनर उक्त आंगनवाड़ी केंद्र में ही प्रदर्शित किये जायेंगे।

8. **ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत सदस्यों का संवेदीकरण:-** अभियान अवधि के दौरान प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 02 ग्राम सभाओं (क्रमश: 15 अगस्त 2026 एवं 02 अक्टूबर 2026) का आयोजन किया जाएगा। संबंधित ग्राम स्वास्थ्य की आशा , आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सीएचओ, एलडब्यूएस द्वारा पंचायत सचिवों से पूर्व से समन्वय कर एचआईवी/एड्स एवं अभियान की चर्चा हेतु एजेण्डा शामिल कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि ग्राम सभा मे उपस्थित समुदाय को एचआईवी/एड्स के संबंध मे संवेदिकरण करते हुये अधिक से अधिक व्यक्तियों को एचआईवी जॉच कराने तथा एचआईवी संक्रमित एवं प्रभावित व्यक्तियों के प्रति लांछन एवं भेदभाव रहित वातावरण निर्माण करने हेतु एचआईवी/एड्स एक्ट 2017 की जानकारी साझा की जा सकेगी। इस हेतु चयनित जिलों को प्रत्येक जिले में 25-25 ग्राम सभाओं के संवेदीकरण हेतु संलग्न सूची अनुसार राशि रू. 25,000/- प्रति जिला बजट स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा हेतु 01 बैनर एवं सी.एच.ओ/ए.एन.एम हेतु जागरूकता सत्र संचालित करने हेतु राशि रूपये 250/- मानदेय सहित प्रति कार्यक्रम राशि रूपये 1000/- स्वीकृत है। कार्यक्रम के उपरात बैनर उक्त पंचायत भवन में ही प्रदर्शित किये जायेंगे।

9. **जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन** - प्रदेश के चयनित 20 जिला अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन शिविरों के आयोजन को सफल और सार्थक बनाने हेतु शिविर का व्यापक पूर्व प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिविर में सहभागिता कर सकें। इन शिविरों में सभी महत्वपूर्ण जांचें की जाएंगी। साथ ही आवश्यक दवाएं भी अस्पताल द्वारा प्रदान की जाये। शिविर का उद्घाटन किसी अतिविशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से कराया जाये। शिविर में प्रदाय की गई सेवाओं की रिपोर्ट पृथक से प्रपत्र में आवश्यक रूप से दी जाना होगी। एचआईवी, सिफलिस/एसटीआई, टीबी, हेपेटाइटिस बी एवं सी सहित अन्य सभी आवश्यक जांचें शिविर में कराई जाएंगी। गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखा जाये।

10. **शहरी/अर्द्धशहरी सघन बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर अवेयरनेस एवं सीबीएस :-** जिन जिलों में टीआई परियोजना अथवा उसकी एक्सटेंडेड यूनिट संचालित है उनमें शहरी क्षेत्र की सघन बस्तियों में तथा जिन जिलों में लिंक वर्कर स्कीम संचालित है उन जिलों में लिंक वर्कर स्कीम के द्वारा कवर किये जा रहे 100 ग्रामों को छोड़कर अन्य ग्रामों में /अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 250 घरों में जाकर परिवार के सदस्यों को जागरूक करना होगा , आईईसी सामग्री वितरित करना होगी तथा सेल्फ रिस्क असेस्मेंट भी कराना होगा। साथ ही प्रत्येक संस्था को न्यूनतम 50 सीबीएस शिविरों का भी आयोजन करना होगा। इस हेतु प्रत्येक संस्था को संलग्न सूची अनुसार लक्ष्य एवं बजट आवंटित किये गये हैं। किन्तु जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय कर योजना तैयार की जाए एवं गतिविधियां सुनिश्चित की जाएं।

11. **आईईसी सामग्री का प्रदर्शन एवं वितरण:-** समस्त जिलों को अभियान के अंतर्गत जागरूकता गतिविधियों के दौरान आईईसी सामग्री वितरित करने हेतु फ्लायर / पेम्फलेट के लिए प्रति विकासखण्ड राशि रूपये 3500/- के मान से गणना कर बजट आवंटित किया गया है। इसी प्रकार सभी बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में फ्लेक्स बैनर / पोस्टर तैयार कर प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक जिले को प्रति विकासखण्ड राशि रूपये 8000/- के आधार पर गणना कर राशि स्वीकृत की गई है। कृपया जिले स्तर पर समय से आईईसी सामग्री मुद्रित कराकर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें। सभी संस्थाओं एवं स्थानों जहा आईईसी सामग्री प्रदर्शित की जाएगी उनके फोटो स्थानों की सूची के साथ आवश्यक रूप से साझा किये जाएं। भण्डार क्रय नियमों के तहत कार्य कराया जाये। जिले स्तर पर कुछ प्रमुख स्थानों जैसे जिला अस्पताल, जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय आदि मे मोड ऑफ ट्रामिशन से संबंधित बैनर तैयार कर प्रदर्शित कराएं।

12. साथ ही A-4 आकार में सेल्फ रिस्क असेसमेंट संबंधी क्यू-आर कोड पोस्टर भी फोटोकॉपी कराकर अधिक से अधिक स्थानों, कॉलेज आदि में प्रदर्शित कराएं। सभी रेड रिबन क्लबों को आवंटित राशि के तहत उन्हें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बैनर तैयार कर महाविद्यालय के मेन गेट/ नोटिस बोर्ड के निकट प्रदर्शित करने हेतु निर्देशित करें।

उपरोक्त सभी गतिविधियों के आयोजन में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :-

- अभियान में जिला नोडल अधिकारी को आवष्यक सहयोग प्रदान करने हेतु किसी योग्य स्टाफ को आवश्यक रूप से नामांकित कर आदेश जारी कर दें। उक्त नामांकित स्टाफ का दायित्व

नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में तथा सभी स्टाफ के समन्वय से अभियान की कार्ययोजना बनाने एवं दैनिक रिपोर्ट संकलित कर कम्पाइल करना तथा साप्ताहिक आधार पर समिति कार्यालय में उपसंचालक आईईसी को उपलब्ध कराना होगा।

- जिले की योजना बनाते समय विषेष ध्यान रखें कि विगत वर्ष जिन ग्रामों में जागरूकता गतिविधियां की गई थी उन ग्रामों को छोड़कर जिले के शेष ग्रामों में ग्राम स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं।
- उपरोक्त स्वीकृत सभी गतिविधियों एवं जिले द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य गतिविधियों के दौरान भी आवश्यक रूप से एचआईवी/एड्स हेतु संचालित नेशनल हेल्प लाईन 1097 एवं ब्रेकफ्री इण्डिया पोर्टल को अनिवार्यरूप से प्रमोट किया जाये तथा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा ब्रेकफ्री इण्डिया पोर्टल अथवा पोस्टर में क्यूआर कोड स्केन कर ऑनलाईन सेल्फरिस्क असेंसमेंट का उपयोग किया जायें यह सुनिश्चित करें। रिस्क असेंसमेंट के आधार पर एचआईवी स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित कराई जाये।
- समस्त गतिविधियों के दौरान सहायक गतिविधियां जैसे महाविद्यालयों, विद्यालयों मे भेदभाव की रोकथाम हेतु शपथ, मानव श्रृखला, रैली, रील मेकिंग आदि संभावित गतिविधियां भी आयोजित कराई जायें।
- जागरूकता कार्यक्रमों हेतु नामांकित स्टॉफ द्वारा 01 दिन में अधिकतम 02 ग्राम कवर किये जायें। प्रत्येक कार्यक्रम में पर्याप्त समय दिया जाये तथा जनसामान्य को समस्त आवश्यक जानकारियां प्रदान की जायें। आवश्यक चर्चा एवं प्रश्न-उत्तर भी संचालित किये जायें।
- लिंक वर्कर स्कीम द्वारा स्कीम के अंतर्गत निर्धारित मिड मीडिया गतिविधियां विशेषरूप से नुक्कड नाटक अभियान के दौरान संचालित किये जायें।
- अभियान के अंतर्गत समस्त जिलों में संलग्न सूची अनुसार निर्धारित गतिविधियां अनिवार्य रूप से आयोजित कराई जाना हैं। सभी स्तर पर की जाने वाली जागरूकता गतिविधियों जैसे- ग्राम स्तरीय बैठके, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों हेतु बजट की गणना प्रति कार्यक्रम हेतु निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर की गई है। यह राशि जिलों मे उन स्टॉफ को भुगतान किये जाने हेतु आवंटित है जिनके द्वारा इन केन्द्रों/संस्थाओं मे जागरूकता गतिविधी/ सत्र संचालित किये जायेगें। प्रत्येक कार्यक्रम हेतु मात्र 01 ही स्टॉफ को उक्त राशि प्रदान की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई टीए-डीए आदि नहीं दिये जाएंगे। अभियान मे जागरूकता हेतु जिलों के जिला नोडल अधिकारी, दिशा स्टॉफ, आईसीटीसी स्टॉफ, डीएसआरसी, एसएसके, टीआई परियोजनायें, लिंक वर्कर स्कीम एवं सीएससी के स्टॉफ तथा टीबी के स्टॉफ, सीएचओ आदि को स्पष्ट रूप से पूर्व से नामांकित कर गतिविधियां कराई जाना होंगी तथा कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरांत संबंधित स्टॉफ के द्वारा कार्यक्रम के फोटो एवं रिपोर्ट निर्धारित अनुसार प्रस्तुत किये जाने के उपरांत उनके बैंक खाते मे पीएफएमएस से भुगतान किया जा सकेगा।
- अभियान के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियों का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा बाह्य एजेंसी/3rd Party के माध्यम से मूल्यांकन/प्रभाव का आकलन कराया जायेगा। अतः गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करायें।
- **साप्ताहिक रिपोर्टिंग एवं डॉक्यूमेन्टेशन:-** अभियान के प्रारंभ होते ही प्रत्येक सप्ताह में जिले स्तर पर आयोजित गतिविधियों की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में, फोटोग्राफ एवं न्यूज कटिंग, वीडियो क्लिपिंग, कवर किये गये गॉवों, स्कूलों, कॉलेजों आदि की सूची सहित समिति कार्यालय को साझा करना होगा। इस हेतु प्रपत्र बैठक के दौरान साझा किया जायेगा।
- **अन्य स्थानीय गतिविधियॉ:-** जिला स्तर पर स्थानीय गतिविधियों के अंतर्गत रेडियो टॉक, स्थानीय चैनल/केबल, पर टॉक ऑन एड्स एवं स्क्राल आदि गतिविधियां आयोजित की जावें। इस हेतु अलग से कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। जिले के सोशल मीडिया में अभियान संबंधी जानकारी पोस्ट करावें एवं अधिक से अधिक मीडिया कवरेज करावें।
- जिले के विशेष समूहों जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, आरपीएफ होमगार्ड, स्वः सहायता समूह आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराए जावें। औद्योगिक इकाइयों आदि में भी जागरूकता कार्यक्रम हेतु लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना तथा लिंक वर्कर परियोजना का सहयोग लिया जा सकता है।
- भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार जिला स्तर पर अभियान के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियों की रिपोर्टिंग हेतु नोडल रिपोर्टिंग पर्सन नामांकित करते

हेतु नाम, पदनाम, संपर्क नम्बर एवं ईमेल आईडी राज्य कार्यालय को भेजी जावें।

- अभियान से पूर्व, अभियान के दौरान पर्याप्त मीडिया कवरेज एवं प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार सघन जागरूकता अभियान संचालित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Nalini Gaur
Date: 05-08-2026
15:23:57

(डॉ. नलिनी गौड़)

अपर परियोजना संचालक

मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति

पृ.क्रं. क्रमांक//IEC/IIC/2026-27/ 1132 **भोपाल, दिनांक:** 05/08/26

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.शासन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अपर परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, वित्त, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त घटक प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त दिशा स्टॉफ, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित जिलों में आवश्यक कार्यवाही एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
9. समस्त आईसीटीसी,डीएसआरसी, एसएसके, एआरटी, ओएसटी परामर्षदाता एवं विहान स्टॉफ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त परियोजना प्रबंधक, लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना एवं लिंक वर्कर स्कीम , मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

अपर परियोजना संचालक

मध्यप्रदेश राज्य एडस नियंत्रण समिति